# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 78/2013** **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रवणसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत
2. विष्णुसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत,
3. श्यामसुन्दर पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत नाबालिग
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता भगवानसिंह निवासीयान ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

..... अपीलांटस

बनाम

1. नन्नू पुत्र सुल्लड जाति नाई निवासी ग्राम सनोली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

.....असल रेस्पोडेण्ट

2. रामवतार पुत्र रतन पौत्र प्यारे जाति नाई,
3. शिवचरण पुत्र शिवनारायण जाति नाई,
4. मुरारी पुत्र शिवनारायण जाति नाई,
5. बच्चू पुत्र शिवनारायण जाति नाई निवासीयान ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
6. तहसीलदार कठूमर
7. सरपंच ग्राम पंचायत नूरपुर पं.स. कठूमर जिला अलवर

.....तरतीबी रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री दशरथ सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट।

## ::: निर्णय :::

**दिनांक :–20.02.2020**

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर फास्टट्रेक कठूमर के निर्णय दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 206 रकबा 91 एयर, 211 रकबा 30 ऐयर, वाके ग्राम रानोली तहसील कठूमर के सुल्लड, मुंशी, नन्दलाल, श्योनारायण, प्यारे पुत्रान ग्यासी के कब्जे काश्त खातेदारी की थी। असल रेस्पोडेन्ट सुल्लड का एक मात्र वारिस व पुत्र है। नन्दलाल के कोई संतान नही थी जिसने अपनी चल व अचल सम्पत्ती नन्नू को दे दी मृतक नन्दलाल

की आराजीयात पर असल रेस्पो0 बहैसियत खातेदार काबिज है। मृतक मुंशी व प्यारे की आराजी रेस्पो0 नन्नू के जरिये बयनामा खरीद कर ली तथा वक्त खरीद से ही सायल मृतक मुंशी व प्यारे की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मृतक शिवनारायण का घरू तोर आराजी खसरा नम्बर 198 तन्हा कब्जे में रहा जिस पर शिवनारायण के पुत्र गैरसायल सं. 6,7,8 काबिज है तथा नन्दलाल ने असल रेस्पो0 के हक में अपना हिस्सा कर दिया इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 206, 211 से मुंशी व प्यारे व शिवनारायण के वारिसान का कोई हिस्सा नही रहा है। आदि आदि पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बेजा तोर पर असल रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मिन अपीलान्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 05.07.2013 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि नन्दलाल ने रामावतार के पिता रतनलाल को जरिये वसीयत अपनी चल अचल सम्पत्ती को दे दी तथा रतन के मरने के बाद नन्दलाल के हिस्से की सम्पत्ती रामवतार को जरिये विरासत में प्राप्त हुई है। असल रेस्पो0 सं. 1 का नन्दलाल के हिस्से की आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है। मृतक शिवनारायण का समस्त हिस्सा विवादित आराजीयात में है। विवादित आराजी का अभी तक किसी भी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी में शिवनारायण मुरारी बच्चू काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। रामावतार से मिन अपीलान्टान ने सही तरीके से बाजाब्ता जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.04.2007 को खरीद किया है तथा बाद खरीद मिन अपीलान्टान के नाम विधिवत इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल को आज तक किसी ने भी चेलेन्ज नहीं किया है। उक्त आराजी अबट आराजी है जिसका आज तक किसी प्रकार से कोई विभजन नही हुआ है तथा विवादित आराजी में समस्त पक्षकारान शामालात में बहैसियत खातेदार काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा सभी का विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक भाग पर यानि कि अच्छी में से अच्छी एवं बुरी से बुरी पर कब्जा है और काबिज है जो काबिज गोर अदालत श्रीमान है। असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज या मौका रिपोर्ट भी पेश नहीं की है जिससे कि उक्त आराजी का विभाजन होना साबित होता हो परन्तु विद्वान तहत अदालत ने बेजा तौर पर मिन अपीलांटान को पाबंद किया। मिन अपीलांटान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं कानूनन किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश में यह मानने में कानूनी भूल की है कि तरतीबी रेस्पो0 के द्वारा मिन अपीलांटान को जो बेचान किया गया है वो साक्ष्य से साबित होगा तथा विवादित आराजी पर किसका कब्जा है वह भी साक्ष्य के आने पर निर्णीत किया जावेगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व

रिकार्ड से यह बखूबी साबित था कि मौके पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। उक्त बयनामा व वसीयत एवं इंतकाल को भी आज तक किसी भी सक्षम अदालत में चेलेंज नही किया गया है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थी। विद्वान तहत अदालत ने अपना निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के विरूद्ध पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान तहत अदालत सहायक कलेक्टर फास्टट्रेक कठूमर जिला अलवर का आदेश दिनांक 05.07.2013 निरस्त किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।बहस पर मनन किया गया।

यहां अस्थाई निषेधाज्ञा में 'कब्जा' का प्रश्न महत्वपूर्ण है। अधिकारों का निर्धारण तो मूलवाद में ही तय होगा। बयनामा दिनांक 23.04.2007 एवं उसके अनुक्रम हुए नामांतकरण से प्रथम दृष्टया यही पुष्टि होती है कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलेक्टर फास्टट्रेक कठूमर के निर्णय दिनांक 05.07.2013 को बयनामा दिनांक 23.04.2007 में अंकित आराजीयात के भाग के अलावा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
20.2.2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर